

2026:AHC:49911

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 988/2026

महेश राय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 14 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: उपेन्द्र कुमार पाण्डेय

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. श्री उपेन्द्र कुमार पाण्डेय, याची के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री राजेश कुमार तिवारी, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रतिकार के लिए प्रस्तुत की गई है:-

“i. परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, राजस्व परिषद, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 64/2005-2006, महेश राय एवं अन्य बनाम हरिबंश राय (स्वर्गीय) एवं अन्य, जो वर्ष 2005-2006 से लंबित है, का निस्तारण यथाशीघ्र दो माह के भीतर करें, यदि संभव हो तो अभिलेख तलब करने के पश्चात उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विधि के अनुसार कठोर कार्यवाही भी की जाए, जिन्होंने आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए हैं।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि याची द्वारा वर्ष 2005-06 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न पुनरीक्षण, राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कार्यवाही का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उचित निर्देश जारी किया जाए कि उपर्युक्त पुनरीक्षण का निस्तारण समयबद्ध अवधि के भीतर, अभिलेख तलब करने के पश्चात किया जाए तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, जो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से राजस्व परिषद के समक्ष अभिलेख प्रेषित न करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में वर्तमान रिट याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक संख्या 11 में संलग्न आख्या का भी अवलंबन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याची द्वारा वर्ष 2005-06 में दाखिल उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न पुनरीक्षण, राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है।

6. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि कार्यवाही का अभिलेख विधिवत तलब करने के पश्चात तथा पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत वह पुनरीक्षण संख्या 64/2005-2006, महेश राय एवं अन्य बनाम हरिबंश राय (स्वर्गीय) एवं अन्य का निस्तारण यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करे।

11 मार्च, 2026

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)